

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 1702]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014

का. आ.2180(अ).—यतः, मै. इंटरनेश्नल बायोटैक पार्क लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य के मान गाँव, के मुल्शी—हिंजाबाडी, जिला पुणे में बायोटैक्नालोजी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 22 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1328(अ), में 12.87 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मैं. इंटरनेश्नल बायोटैक पार्क लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.299 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित कर दिया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 6 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या एसईज़ेड–2011/सीआर–90/2012/ आईएनडी–2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है:

और यतः विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 2.299 हैक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.299 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 10.571 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्ः—

3423 GI/2014 (1)

	\sim	
ता	लिका	

क्र.सं.	सर्वे नम्बर	अधिसूचित क्षेत्रफल अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (हेक्टेयर में)		परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	347 भाग	0.300	0	0.300
2.	345 भाग	1.240	0	1.240
3.	339 भाग	1.950	0	1.950
4.	333 भाग	0.780	0.227	0.553
5.	334 भाग	2.680	0.003	2.677
6.	335 भाग	2.300	0	2.300
7.	336 भाग	1.450	0.885	0.565
8.	337 भाग	0.250	0.250	0
9.	338 भाग	1.920	0.934	0.986
	कुल	12.870	2.299	10571

[फा. सं. एफ.2 / 298 / 2006—एसईजेड] राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2014

S.O. 2180 (E). – Whereas, M/s. International Biotech Park Limited, a fully private organization in the State of Maharashtra, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology at village Mann, Taluka Mulshi-Hinjewadi, District Pune in the State of Maharashtra;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 12.87 hectares, at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 1328(E) dated 22nd May, 2009;

And, Whereas, M/s. International Biotech Park Limited has now proposed to de-notify 2.299 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 29th September, 2011;

And, Whereas, the State Government of Maharashtra has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. SEZ-2011/CR-90/2012/Ind-2 dated 6th September, 2013;

And Whereas, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 2.299 hectares of the Special Economic Zone;

And, Whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 2.299 hectares, thereby making resultant area as 10.571 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

S.No.	Village	Survey No.	Notified Area (in hectare)	Area being de-notified (in hectare)	Resultant Area (in hectare)
1.	Mann	347 Pt.	0.300	0.000	0.300
2.		345 Pt.	1.240	0.000	1.240
3.		339 Pt.	1.950	0.000	1.950
4.		333 Pt.	0.780	0.227	0.553
5.		334 Pt.	2.680	0.003	2.677
6.		335 Pt.	2.300	0.000	2.300
7.		336 Pt.	1.450	0.885	0.565
8.		337 Pt.	0.250	0.250	0.000
9.		338 Pt.	1.920	0.934	0.986
		Total	12.870	2.299	10.571

[F. No. F.2/298/2006-SEZ] RAJEEV ARORA, Jt. Secy.